भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1543
(09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्यान्वयन

1543. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के कार्यान्वयन की तमिलनाडु सहित राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान मिशन के अंतर्गत गठित और सहायता प्राप्त स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत तमिलनाडु को समय पर निधि जारी की है;

(घ) यदि नहीं, तो निधि जारी करने में देरी के क्या कारण हैं और स्वयं सहायता समूहों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का मुद्रास्फीति और बढ़ती ग्रामीण आजीविका संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत वित्तीय आवंटन और आजीविका संबंधी सहायता बढ़ाने का विचार है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्यमंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख) दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएअवाई-एनआरएलएम) वर्तमान में 34 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) के 745 जिलों के 7,156 प्रखंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है, और अब तक कुल 90.90 लाख स्व–सहायता समूह (एसएचजीए) गठित किए जा चुके हैं। स्थापना काल से अब तक तथा पिछले पाँच वर्षों में गठित स्वयं सहायता समूहों का विवरण अनुलग्नक–I में दिया गया है।

(ग) और (घ) केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु को समय पर निधि जारी की गई है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, किसी प्रकार का विलंब नहीं हुआ और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने पर निधियाँ जारी की गयीं ।

(ड.) डीएअवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हेतु वित्तीय आवंटन निर्धारण में गरीबी अनुपात को आधार बनाया जाता है। सरकार अपनी वार्षिक बजट प्रक्रिया में स्वयं–सहायता समूहों को आजीविका सहायता प्रदान करने तथा मिशन की अन्य गतिविधियों के लिए पूंजीकरण समर्थन (रिवॉल्विंग फंड/आरएफ तथा सामुदायिक निवेश कोष/सीआईएफ) हेतु वित्तीय प्रावधानों में वृद्धि करती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के उपयोग तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आंकलित आवश्यकताओं के आधार पर, मिशन के वार्षिक समग्र बजटीय प्रावधान के अंतर्गत उन्हें अतिरिक्त आवंटन भी प्रदान किए जाते हैं। एसएचजी सदस्यों के लिए आजीविका समर्थन में वृद्धि करने तथा उन्हें 'लखपति दीदी' बनने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2024–25 में, पिछले पाँच वर्षों की तुलना में सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई है।

अनुबंध -I

दिनांक 09.12.2025 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1543 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों के दौरान एवं स्थापना से लेकर अक्टूबर, 2025 तक स्थापित स्वयं सहायता समूहों की संख्या :-

क्र. सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	स्थापना से अक्टूबर 25 तक
1	अंडमान और निकोबार	54	102	141	114	0	1294
2	आंध्र प्रदेश	158	8959	33122	2478	0	855600
3	अरुणाचल प्रदेश	369	1075	3731	2067	1850	11906
4	असम	10306	13235	26902	25673	0	361516
5	बिहार	129511	22037	51785	42244	0	1097100
6	छत्तीसगढ	18530	14477	48583	18572	0	276375
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	27	133	212	316	458	1673
8	गोवा	458	413	279	142	109	3891
9	गुजरात	10645	3615	11494	9797	0	279758
10	हरियाणा	5548	5645	6790	2936	0	60301
11	हिमाचल प्रदेश	4984	8798	7911	3337	0	45295
12	जम्मू और कश्मीर	1873	14054	20586	11324	0	91445
13	झारखंड	13658	12758	10128	20485	0	291601
14	कर्नाटक	15475	25638	36903	104258	0	360684
15	केरल	4345	9998	4131	17260	0	271209

16	लद्दाख	0	7	105	1053	267	1807
17	लक्षद्वीप	0	155	17	20	0	348
18	मध्य प्रदेश	40104	36048	72487	51200	0	487291
19	महाराष्ट्र	69968	43173	43113	44070	0	640719
20	मणिपुर	232	1267	4082	1681	2277	11659
21	मेघालय	8384	8311	4686	1441	0	45312
22	मिजोरम	970	894	1688	940	0	10291
23	नागालैंड	2646	220	1441	1478	0	15419
24	ओडिशा	49467	38785	29611	19396	2324	551141
25	पुदुचेरी	226	316	783	447	0	4744
26	पंजाब	7565	7422	6738	12525	2630	52118
27	राजस्थान	24703	42529	50535	61857	0	321875
28	सिक्किम	1026	143	321	339	0	5915
29	तमिलनाडु	25088	16004	27821	18459	0	336764
30	तेलंगाना	974	10637	21193	3412	0	442979
31	त्रिपुरा	13394	7048	12198	5830	0	51841
32	उत्तर प्रदेश	111493	171894	125652	126857	200	842101
33	उत्तराखंड	2480	4917	17581	11816	0	65840
34	पश्चिम बंगाल	27668	71661	120092	124304	0	1192980
	कुल:	**602329**	**602368**	**802842**	**748128**	**10115**	**9090792**
